रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 24 नवम्बर, 1984/3 अग्रहायण, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 3 सितम्बर, 1984

संख्या एच0एफ0डब्ल्यू0-बी0 (ए0) 3-3/81.——यतः प्रारूपित हिमाचल होम्योपैथिक व्यवसायी (जनरल) नियम, 1982, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 11-2/73-एच0 एण्ड एफ0 डब्ल्यू0-II-दिनांक 2 फरवरी, 1982 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 (1980 का अधिनियम संख्यांक 3) की धारा 53 के अधीन यथा वांछित, उससे प्रभावित होने वाले समस्त जनों से प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की

अवधि को समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने हेतु, असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश दिनांक 10 अगस्त, 1982 में प्रकाशित किये गये थे।

और यतः सरकार से उक्त, प्रारूपित नियमों पर जनता से निहित अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सहर्ष निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ.—(1) ये नियम "हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी" नियम, 1983 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन नियमों में जब तक सन्दर्भ में कोई विरुद्ध बात न हो.—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, अभिप्रेत है;
(ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों का परिशिष्ट, अभिप्रेत है ;
(ग) "अध्यक्ष" से परिषद का अध्यक्ष, अभिप्रेत है ;
(घ) "समिति" से परिषद द्वारा नियुक्त समिति, अभिप्रेत है ;
(ङ) "प्रपत्र" से नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र, अभिप्रेत है ;
(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; और
(छ) "विश्वविद्यालय" से संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा नियमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

शब्दों और पदों के जो इनमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. व्यवसायियों का पंजीकरण.—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 16 के अधीन रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है वह यदि अपना नाम दर्ज कराना चाहे तो वह प्रपत्र "क" में पंजीकार को आवेदन देगा। प्रत्येक ऐसे आवेदन पत्र के साथ नियम 32 में विहित शुल्क दिया जाएगा। उसे अपने आवेदन पत्र के साथ वे दस्तावेज भी भेजने होंगे जो रजिस्टर के भाग "क" या "ख" जैसी भी स्थिति हो में उसका नाम दर्ज करने के लिए उसके दावे को प्रमाणित करने हेतु आवश्यक हो।

(2) पंजीकार आवेदन पत्र की जांच के पश्चात् आवेदक से उतनी अवधि के अन्दर जितनी वह विनिर्दिष्ट करे कोई अन्य सूचना या दस्तावेजों जिसे वह आवश्यक समझे भी मांग सकता है।

(3) यदि पंजीकार उप-नियम (1) के अधीन आवेदन पत्र की प्राप्ति या उप-नियम (2) के अधीन आवेदक से अपेक्षित अन्य सूचना या दस्तावेजों की प्राप्ति पर और आगे ऐसी जांच पड़ताल के पश्चात् जिसे उचित समझे इस बात से सन्तुष्ट है कि आवेदक रजिस्ट्रर के भाग "क" या "ख" जैसी भी स्थिति हो में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है तो वह उसका नाम दर्ज कर देगा। यदि वह सन्तुष्ट नहीं है तो वह आवेदन पत्र को अस्वीकार कर देगा परन्तु आवेदक की सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(4) धारा 16 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन जिस व्यवसायी का नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है उसे प्रपत्र "ख" में 5 रुपये शुल्क देने पर, एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा और

जिस आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो उसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा अस्वीकार करने की सूचना दे दी जाएगी।

(5) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो कि धारा 16 के अधीन पंजीकृत है उन्हें प्रत्येक वर्ष के उपरान्त पंजीकरण का नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है।

4. पंजीकरण की विधि मान्यता.—अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति का नाम अधिनियम में रजिस्टर से नाम हटाये जाने सम्बन्धित अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए उसमें दर्ज रहेगा।

5. पते में परिवर्तन.—(1) प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी के लिए यह आवश्यक है कि यदि उस पते में कोई परिवर्तन हुआ हो तो ऐसे परिवर्तन के एक मास के अन्दर-अन्दर अपने पते की पंजीकार को सूचना भेजें और इस सम्बन्ध में पंजीकार द्वारा उससे जो भी पूछताछ की जाए उसका तुरन्त उत्तर दे ताकि रजिस्टर में उसका सही पता दर्ज हो जाए।

(2) जिस पंजीकृत व्यवसायी ने अपना नाम तबदील कर दिया हो वह पंजीकार को अपने बदले हुए नाम के बारे में तुरन्त सूचना भेजेगा और पंजीकार को इस बारे में तसल्ली कराएगा कि उसने अपने बदले हुए नाम का पहले ही किसी ऐसे समाचार पत्र में अधिसूचित कर दिया है जो उस क्षेत्र में काफी बिकता है जहां पर वह अपना व्यवसाय चला रहा हो और जो उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होता हो। पंजीकार इस प्रकार से सन्तुष्ट होने पर और नियम 32 में निर्धारित फीस की प्राप्ति पर रजिस्टर को तदानुसार ठीक कर लेगा। वह पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के अनुरोध पर पंजीकरण प्रमाण पत्र में भी आवश्यक संशोधन कर देगा।

6. अतिरिक्त अर्हताओं की रजिस्टर में प्रविष्टि.—कोई भी पंजीकृत व्यवसायी जिसने होम्योपैथी में कोई अतिरिक्त डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या अन्य योग्यता या मान्यता प्राप्ति चिकित्सा डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्राप्त किए हों और वह उसे रजिस्टर में दर्ज कराना चाहे तो वह नियम 32 में विहित फीस सहित प्रपत्र "ग" में एक प्रार्थना पत्र देगा। वह अपने आवेदन पत्र के साथ मूल रूप में प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, को भेजेगा जिस आधार पर वह रजिस्टर में प्रविष्ट कराना चाहता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर और पूछताछ के बाद यदि पंजीकार को यह तसल्ली हो गयी है कि आवेदक अपनी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र जैसी भी स्थिति हो रजिस्टर में दर्ज कराने का अधिकारी है तो वह उनकी प्रविष्टि कर देगा और ऐसे व्यवसायी को प्रपत्र "घ" में एक प्रमाण पत्र देगा। यदि उसे तसल्ली नहीं है तो आवेदन पत्र को अस्वीकार कर देगा, परन्तु किसी आवेदन पत्र पर अस्वीकार करने के आदेश तब तक नहीं किये जाएंगे जब तक आवेदक को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया जाता।

7. पंजीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करना:—यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र गुम हो जाए, नष्ट हो जाए या कट फट जाए तो प्रमाण पत्र का धारक, प्रमाण पत्र लागू रहने की अवधि के दौरान किसी भी समय पंजीकार को प्रमाण पत्र की प्रति के लिए आवेदन पत्र दे सकता है और पंजीकार अपनी तसल्ली करने के पश्चात् और नियम 32 में निर्धारित फीस प्राप्त कर लेने पर दूसरा प्रमाण पत्र जारी कर देगा।

8. धारा 16 के अधीन रजिस्टर में से नाम हटाना.—जब कभी पंजीयक के कार्यालय को यह सूचना मिले कि कोई व्यवसायी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में यथा प्रभावित संज्ञेय अपराध के लिए दोष सिद्ध हुआ है और ऐसा नैतिक चरित्र-हीनता परिषद की राय में उसे अपने व्यवसाय में काम करने के लिए अयोग्य बनाने के लिए पर्याप्त है अथवा सम्यक रूप से जांच पड़ताल करने के उपरान्त यह मालूम होता है कि वह ऐसे आचरण का दोषी है जो उसे परिषद् के राय में किसी व्यवसायोजिक कार्य को करने के लिए गर्हित बनाता हो तो पंजीयक ऐसी सूचना का एक सार तैयार करेगा और उसे परिषद के समक्ष ऐसी कार्यवाही करने के लिए रखेगा जैसी कि परिषद धारा 16 की उप-धारा (5) के उपबन्धों के अध्याधीन करनी चाहे।

परन्तु धारा 16 की उप-धारा (5) के उपबन्धों के अधीन आदेश पारित करने से पूर्व, परिषद् प्रभावित व्यवसायी को सुनवायी का अवसर प्रदान करेगी, यदि वह ऐसा करना चाहें।

9. पंजीकरण प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण.–जिस किसी पंजीकृत व्यवसायी का नाम, धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन पंजीकार द्वारा या धारा 16 की उप-धारा (5) के अधीन परिषद् द्वारा रजिस्टर में से हटा दिया गया हो तो वह अपने हटाये गए नाम की सूचना मिलने पर पंजीकार को अपना प्रमाण पत्र तुरन्त अभ्यर्पित कर देगा।

10. धारा 15 (5) और 16 (5) के अधीन जिस व्यवसायी का नाम हटाया गया हो उसके नाम की पुनः प्रविष्टि.–(1) धारा 15 की उप-धारा (5) के अधीन जिस किसी व्यवसायी का नाम पंजीकार द्वारा रजिस्टर में से हटा दिया गया हो या जिस का नाम दर्ज कराने की वहां मनाही हो या जिसका नाम धारा 16 की उप-धारा (5) के अधीन रजिस्टर में परिषद् द्वारा हटा दिया गया हो और जो धारा 15 की उप-धारा (5) के उपबन्धों के अधीन या धारा 16 की उप-धारा (6) के अधीन अपना नाम दर्ज या दुबारा दर्ज, जैसी भी स्थिति हो करना चाहे तो वह अध्यक्ष को आवेदन पत्र देगा।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन पत्र लिखित रूप में दिया जाएगा और उसमें वे सभी कारण होंगे, जिनके आधार पर आवेदन पत्र दिया गया है और उसके साथ आवेदक की पहचान के सम्बन्ध में प्रपत्र "ङ" में दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार दो पंजीकृत व्यवसायियों के प्रमाण पत्र लाने होंगे।

11. व्यवसायियों की सूची का प्रकाशन.–धारा 26 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यवसायियों की सूची परिषद् के कार्यालय के बाहर किसी सुस्पष्ट स्थान पर चिपका दी जाएगी और इसके छपाये जाने और चिपकाये जाने का ऐसे समचार पत्रों में जिनके बारे में परिषद् निर्णय करें और जो हिमाचल प्रदेश में काफी बिकते हों प्रर्याप्त प्रचार किया जाएगा।

12. प्रमाणित प्रति के प्रदाय हेतु शुल्क.–(1) परिषद या पंजीकार द्वारा पारित किसी आदेश या रजिस्टर में किये गये किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति लेने के लिए शुल्क की दर 75 पैसे से प्रति सौ शब्द या उसके भिन्न के लिए है परन्तु यह कम से कम 1/- रुपये होगी।

परन्तु यदि कोई आवेदक ऐसी प्रति तुरन्त लेना चाहे तो उसे ऊपर की गई गणना के अनुसार शुल्क की दुगनी रकम देनी पड़ेगी और यह कम से कम 2/- रुपये होगी।

(2) तुरन्त आवेदन पत्र देने की स्थिति में मांगी गयी प्रति आवेदक को जिस दिन उसने आवेदन पत्र दिया है उससे अगले दिन कार्यालय बन्द होने से पहले दे दी जाएगी।

13. अपीलें.–(1) धारा 27 के अधीन परिषद को की गई प्रत्येक अपील परिषद के अध्यक्ष के नाम की जाएगी और उसके साथ नियम 32 में विहित शुल्क भी लगाया जाएगा।

(2) प्रत्येक अपील सम्यक रूप से प्रस्तुत की गई तब ही समझी जाएगी यदि उसे या तो रजिस्टर डाक द्वारा भेजा जाए या व्यक्तिगत रूप से या अपीलकर्ता द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा परिषद के कार्यालय में की जाए।

(3) प्रत्येक अपील के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि भी भेजनी होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है और निम्नलिखित विवरण अन्तर्विष्ट होना चाहिये :–

(क) उस आदेश की तिथि जिसके विरुद्ध अपील की गई है,
(ख) संक्षिप्त किन्तु स्पष्ट रूप में अपील के आधार।

(ग) प्रत्येक अपील पर आवेदक हस्ताक्षर करेगा और अपील की आधारों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दिये गये ढंग से उसे सत्यापित करेगा।

14. अपीलें सुनने की प्रक्रिया.—(1) यदि अपील पूर्ववर्ती नियम में बनाये गये ढंग से प्रस्तुत न की गई या इसके साथ विहित शुल्क न लगाया गया हो तो यह सरसरी रूप से ही अस्वीकार कर दी जाएगी।

(2) यदि उप-नियम (1) के अधीन अपील अस्वीकार नहीं की जाती तो परिषद अपीलकर्ता को और जहां पर अपील पंजीकार के आदेशों के विरुद्ध हो और यह आदेश अपीलकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में पारित किये गये हों परिषद ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान कर इसका निर्णय करेगी परिषद् के प्रत्येक निर्णय की पंजीकार की सूचना दे दी जाएगी और वह उसे कार्यान्वित करेगा।

15. रजिस्टर में भरे जाने वाली विशिष्टियां.—पंजीकार प्रत्येक व्यवसायी के बारे में रजिस्टर में निम्नलिखित विशिष्टियां दर्शायेगा :—

(क) पंजीकरण संख्या .....
(ख) विवाहित स्त्रियों के मामले में पूरा नाम, अविवाहित नाम और विवाहित पूरा नाम .....
(ग) पिता का नाम .....
(घ) जन्म तिथि .....
(ङ) पता .....
(च) प्रशिक्षण का/के स्थान और अवधि/अवधियों, ...
(छ) रजिस्टर के भाग "क" और "ख" में दर्ज व्यवसायियों के मामले में अर्हताओं की किस्म और वे तिथियां जब ये अर्हतायें प्राप्त की गई थी।
(ज) पंजीकरण की तिथि .....
(झ) अभियुक्तियां .....

16. रजिस्टर के पृष्ठों का सत्यापन.—रजिस्टर का प्रत्येक पृष्ठ पंजीकार के हस्ताक्षरों से सत्यापित किया जाएगा।

17. समितियों की नियुक्ति.—अधिनियम प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिषद इतनी संख्या के व्यक्तियों वाली ऐसी समितियां नियुक्त कर सकती है जितनी वह उचित समझे। परिषद द्वारा नियुक्त समिति वह कार्य करेगी जो उसे परिषद् द्वारा सौंपा जाये।

परन्तु इस नियम की कोई भी बात, परिषद् प्रत्येक नियुक्त समिति को कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार नहीं देगी जिनके बारे में अधिनियम विशेष तौर पर उचित नहीं, कि वे परिषद या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किये जाएं।

18. सदस्य को मिलने वाले यात्रा तथा अन्य भत्ते.—(1) परिषद या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शासकीय सदस्यों को नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा जैसे कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के रूप में प्रयोज्य हैं।

(2) परिषद के अशासकीय सदस्यों को यात्रा भत्ता मिलेगा जो द्वितीय ग्रेड के हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को ग्राह्य।

(3) परिषद् या समिति की बैठकों में भाग लेने वाले सभी अशासकीय सदस्यों की बैठक के प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता द्वितीय ग्रेड के हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम दरों से मिलने वाले दैनिक भत्ते के बराबर मिलेगा।

19. परिषद की मोहर.—धारा 3 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सामान्य मोहर पंजीकार द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखी जाएगी। यह प्रत्येक ऐसे पंजीकरण प्रमाण पत्र पर जो इन नियमों के उपबन्धों के अधीन जारी किया गया है और अन्य ऐसे दस्तावेजों पर लगाई जाएगी जिन्हें अध्यक्ष, आदेश द्वारा निर्देशित करें।

20. सम्पत्ति का प्रबन्ध.—पंजीकार परिषद की समस्त सम्पत्ति की देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा और वह परिषद की चल सम्पत्ति का एक स्टाक रजिस्टर का रख-रखाव करेगा।

21. परिषद की राशि को बैंक में जमा कराना.—परिषद, भारतीय स्टेट बैंक में अपना खाता खोलेगी और उस द्वारा प्राप्त सारी धन राशि नियम 23 के उपबन्धों के अधीन बैंक में जमा करवायी जाएगी।

22. परिषद् की ओर से धनराशि की प्राप्ति.—परिषद को देय सारी धन राशि परिषद्, की ओर से पंजीकार द्वारा या उस द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य, परिषद के कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाएगी और यह प्राप्ति के अगले दिन बैंक में जमा करा दी जाएगी। पंजीकार द्वारा धनराशि प्राप्त करने के प्रमाण में परिशिष्ट "क" में विहित ढंग के अनुसार एक रसीद दे दी जाएगी।

23. परिषद के लेखे का रख रखाव.—परिषद के लेखे का संचालन पंजीकार और अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

24. स्थायी अग्रिम.—पंजीकार दो सौ रुपये का स्थायी अग्रिम रखेगा।

25. लेखे का रख रखाव.—परिषद की तरफ से प्राप्त या खर्च की गई सारी धनराशि परिशिष्ट "ख" में विहित ढंग के अनुसार रखी जाने वाली सामान्य कैश बुक में परिषद के खाते में लिखी जाएगी और यह कार्य पंजीकार की प्रत्यक्ष देखभाल में होगा और उसकी अनुपस्थिति में उस द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत परिषद् के किसी कमचारी की देखरेख में होगा।

26. लेखों की लेखा परीक्षा.—परिषद के लेखों का परीक्षण, परीक्षक, स्थानीय लेखा निधि, वित्त विभाग द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा का जाएगी।

27. लेखों की वार्षिक विवरणियों का तैयार किया जाना.—पंजीकार प्रतिवर्ष जुलाई में, 31 मार्च को समाप्त होने वाले पहले वर्ष की आय और व्यय की विवरणियां तैयार करवायेगा और परिषद का ध्यान उन विषयों पर दिलाएगा जो उसे परिषद के ध्यान में लाने आवश्यक प्रतीत होते हैं।

28. प्राक्कलन तैयार करना.—(1) पंजीकार प्रतिवर्ष अक्तूबर के मास में या ऐसी तिथि को जो अध्यक्ष नियत करे पहले अप्रल को शुरू होने वाले अगले वर्ष के लिए परिषद की आय और व्यय का प्राक्कलन तैयार करवायेगा और उसे परिषद को प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राक्कलनों में परिषद के दायित्वों की पूर्ति और अधिनियम के उपबन्धों को ठीक ढंग से कार्यन्वित करने हेतु धन राशि की व्यवस्था होगी।

(3) परिषद, उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन पर विचार करेगी और उन्हें या तो उसे परिवर्तन के बिना अथवा प्राक्कलनों को ऐसे परिवर्तनों के साथ जैसे वह उचित समझे स्वीकृत कर सकती है।

29. अनुपूरक प्राक्कलनों का तैयार करना.—परिषद द्वारा जिस वर्ष के लिए प्राक्कलन मन्जूर किये गये हैं उसके दौरान किसी भी समय अनुपूरक प्राक्कलनों को तैयार कराके प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्येक प्राक्कलन पर परिषद उसी ढंग से विचार करगी मानों यह मूल वार्षिक प्राक्कलन ही हो। कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया जाएगा

जिसकी नियम 28 के उप-नियम के उप-निमम (3) के अधीन स्वीकृत प्राक्कलनों या अनुपूरक प्राक्कलन में सम्यक रूप से व्यवस्था न की गई हो।

30. बिलों की अदायगी:—दावाकृत राशि के लिए प्रस्तुत किये गये कर्मचारियों के वेतन बिल और अन्य वाऊचर लेखाकार द्वारा प्राप्त किये जाएंगे और उस द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा। उन वाऊचर पर सन्तुष्ट होने पर कि दावा ठीक है बिल पारित किया जाएगा :—

(क) कर्मचारियों के वेतन बिल से सम्बन्धित यदि दावा एक हजार की राशि से अधिक न हो तो पंजीकार द्वारा पारित किया जाएगा।
(ख) अन्य मामलों में अध्यक्ष द्वारा पारित किया जाएगा।

31. वापसी —परिषद द्वारा फीस के प्रति प्राप्त धन राशियां किन्हीं भी उपस्थितियों में वापिस नहीं की जाएगी इस प्रकार प्राप्त रकमें परिषद के लेखे में जमा रहेंगीं।

परन्तु व्यवसायी द्वारा शुल्कों से अधिक अदा की गई राशि परिषद के उचित लेखा में जमा की जाएगी और यदि तीन वर्ष के अवधि के भीतर दावा किया जाता है तो वह वापिस की जा सकती है और यदि उपरोक्त अवधि के भीतर वापसी के लिए कोई दावा नहीं किया जाता है तो राशि परिषद के लेखे में जाम की जाएगी।

32. परिषद को देय शुल्क.—परिषद को दिये जाने वाले निम्नलिखित शुल्क विहित किये गये है :—

(1) नियम 3 (1) के अधीन रजिस्टर में पहले पंजीकरण के लिए	50/-रुपये
(2) नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन रजिस्टर में नाम परिवर्तन करने के लिए	10 रुपये
(3) नियम 6 के उप-नियम (4) के अधीन बाद में दर्ज प्रत्येक अतिरिक्त अर्हता या पद के लिए	10 रुपये
(4) नियम 7 के अधीन निद्धतीयक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए	15 रुपये
(5) नियम 13 के अनुसार परिषद को अपील दायर करने के लिए यदि अपील पंजीकार द्वारा आवेदन के विरुद्ध पारित आदेशों के विरुद्ध हो	15 रुपये
(6) नियम 13 के अनुसार अपील दायर करने के लिए यदि कोई अपील पंजीकार द्वारा अपीलकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेशों के विरुद्ध हो	40 रुपये
(7) नियम 3 (5) के अधीन पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु शुल्क	10 रुपये।

और इसके अतिरिक्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1889 अथवा स्टाम्प शुल्क सम्बन्धी उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहण किये जाने वाला स्टाम शुल्क भी लिया जाएगा।

33. परिषद के कर्मचारियों की नियुक्ति और उन पर नियन्त्रण.—(1) धारा 14 की उप-धारा (5) के अधीन परिषद द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को भी वही वेतन व भत्ते दिये जायेंगे जो सरकार के पूर्वानुमोदन के साथ परिषद द्वारा मन्जूर किये जाए।

(2) पंजीकार का परिषद के कर्मचारियों पर प्राधिकार होगा और उन पर नियन्त्रण रखेगा कर्मचारीवृन्द के विभिन्न वर्गों के कर्त्तव्य ऐसे होंगे जैस कि अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार द्वारा नियत किये जाएं।

34. परिषद के कर्मचारियों को अवकाश और यात्रा भत्ता.—पंजीकार और परिषद के अन्य कर्मचारियों को अवकाश व यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार दिया जाएगा जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को प्रयोज्य है।

35. पंजीकार को अवकाश मन्जूर करने का अधिकार.—पंजीकार को अवकाश देने के लिए अध्यक्ष प्राधिकृत होगा।

36. परिषद के अन्य कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करने की शक्तियां.—पंजीकार परिषद के अन्य कर्मचारियों को अवकाश मन्जूर कराने और उसके स्थान पर कर्मचारी रखने के लिए प्राधिकृत होगा।

37. अंशदायी भविष्य निर्वाह निधि.—परिषद के कर्मचारी पैसा लेने के हकदार नहीं होंगे परन्तु स्थाई कर्मचारियों का परिशिष्ट "ग" में दिये गये अंशदायी भविष्य निधि नियमों का लाभ मिलेगा ।

38. नियमों का निर्वाचन.—इन नियमों के किसी निर्वाचन अथवा निर्मलीकरण की स्थिति में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

आदेश द्वारा,
एस० एस० सिद्धू,
आयुक्त एवं सचिव (स्वा० एवं परिवार कल्याण),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रपत्र "क"

[नियम 3 (1) देखिये]

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

पंजीकार,
होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद्
हिमाचल प्रदेश, शिमला ।

विषय :—हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 की धारा 16 के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र ।

महोदय,

निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत बनाये गये रजिस्टर के भाग "क" अथवा "ख" में होम्योपैथिक व्यवसायी के रूप में पूरा नाम दर्ज कर लिया जाए। मेरे बारे में आवश्यक विवरण आपकी सूचना एवं अभिलेख के लिए निम्न प्रकार से दिया जाता है:—

1. आवेदक का नाम (मोटे अक्षरों में) .....

2. (क) विवाहित नाम यदि कोई हो (मोटे अक्षरों में)
(केवल विवाहित स्त्रियों द्वारा भरा जाना है)
(ख) अविवाहित नाम (मोटे अक्षरों में) .....

3. पिता का नाम (मोटे अक्षरों में) .....

4. वह स्थान जहां व्यवसाय चल रहा है/चलायेगा:—
(क) गांव/मोहल्ला ..... डाकघर .....
(ख) तहसील और जिला ..... थाना .....
(ग) जन्म तिथि के प्रमाण पत्र में प्रमाण की प्रति लगायें ।

6. वह पद्धति जिसमें व्यवसाय चला रहा है/चलायेगा:—
(होम्योपैथिक .....)

7. (क) होम्योपैथिक के बारे में उस मान्यता प्राप्त संकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम व पता जहां से शिक्षा ग्रहण की हो .....
(ख) उक्त उल्लिखित संस्थाओं में अध्ययन की अवधि .....

(ग) पास की गई परीक्षा का नाम ....

(घ) पास करने का वर्ष ....

8. यदि अध्ययन निजी तौर पर किया हो तो निम्नलिखित विवरण दिजिये:—

(क) गुरु का नाम व पता ....

(ख) अध्ययन की अवधि ....

(ग) व्यवसाय की अवधि .... से .... तक

9. यदि किसी राज्य से पंजीकृत का नाम दर्ज हो तो ....

(क) पंजीकरण/इन्द्राज सख्या .... (प्रमाण पत्र की प्रति लगायें)

10. (क) रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए 50 रुपये और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5 रुपये .... डाकघर की मनी आर्डर रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा भेज दिए गये हैं।

(ख) यदि फीस नकद दी गई हो तो शास्कीय रसीद संख्या .... दिनांक ....

दिनांक ....   आवेदक के हस्ताक्षर,

टिप्पणियां:—1. आवेदन पत्र में की गई सभी काट फाट आवेदक द्वारा आवश्यक हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

2. पंजीकरण शुल्क पंजीकार, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् हिमाचल प्रदेश शिमला का या तो मनीआर्डर द्वारा भेजा जा सकता है या नकद दी जा सकती है।

3. इस आवेदन पत्र के साथ मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा, उपाधी भेजी जानी चाहिये।

4. जो मद व शब्द लागू न होते हों उन्हें काट दिया जाए।

शपथ पत्र

मैं, ... सुपुत्र/श्री .... जो कि .... गांव .... डाकघर .... तहसील .... जिला .... का निवासी हूं और जो गांव/मुहल्ला .... तहसील .... डाकघर .... थाना .... जिला .... में व्यवसाय चलाने का इच्छुक हूं सत्य/निष्ठा से निम्न घोषणा करता हूं:—

(क) किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसा निर्णय नहीं दिया कि मैं विकृत चिन्ह हूं।

(ख) कि मुझे किसी दण्ड न्यायालय ने नैतिक अध्यामता के किसी अपराध में दोषी सिद्ध नहीं किया है और न ही कारावास का दण्ड दिया है।

(ग) कि मैं (अनुन्मुक्त शोधक्षण (undischarged insolvant)

(घ) कि मेरा नाम व्यवसायिक उपचार के लिए राज्य, बोर्ड/परिषद् द्वारा रखे गए व्यवसायी रजिस्टर में से हटाया नहीं गया है।

(ङ) कि मैंने हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम 1979, और उसके अधीन बनाये गए नियमों को पढ़ लिया है उक्त अधिनियम व नियमों के उपबन्धों का पालन करने का वचन देता हूं।

मैं सत्य/निष्ठा से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूं कि पंजीकरण के लिए दिए गए प्रमाण-पत्र के पैरों "क" से "ङ" में दिया गया विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है मैं आगे शपथ लेता हूं कि सम्वद्ध कोई भी बात मेरे से छुपाई नही गई है।

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी:—शपथ-पत्र प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी या शपथ आयुक्त द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा।

अनुप्रमाणक अधिकारी के हस्ताक्षर.....पद नाम.....

(पूरा नाम मोटे अक्षरों में).....स्थान.....

दिनांक.....198.....

कार्यालय द्वारा भरा जायेगा

पंजीकरण आवेदन पत्र दिनांक.....को प्राप्त हुआ दैनिकी संख्या.....

(क) रजिस्टर में प्रविष्टि करने व प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शुल्क दिनांक..... को प्राप्त हुआ ;

(ख) शासकीय रसीद संख्या.....दिनांक.....

(ग) रोकड़ बही पृष्ट संख्या.....निजी खाता संख्या.....

लेखाकार के हस्ताक्षर.....कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर.....

.....पंजीकार के आदेश.....

पंजीकरण संख्या.....

मूल प्रमाण पत्रों की छानबीन की गई और.....को लौटाये गये।

पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या.....दिनांक.....

द्वारा जारी किया गया है।

प्रपत्र "ख"

[नियम 3(4) देखिए]

संख्या.....

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् शिमला-2

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री.....सपुत्र श्री.....

को हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के अधीन दिनांक.....को शिमला में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में भाग "क" या "ख" में पंजीकृत कर लिया गया है।

अर्हतायें.....

जन्म तिथि.....

पता.....

टिप्पणियां:—(क) यह प्रमाण पत्र केवल हिमाचल प्रदेश के भीतर ही व्यवसाय चलाने का हकदार बनाता है।

(ख) यह प्रमाण पत्र वर्ष.....के लिए मुद्रित रजिस्टर के प्रकाशन तक केवल पंजीकरण का रहता है।

सामान्य मोहर

दिनांक शिमला 198

पंजीकार

जरूरी सूचना

प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी को इस बारे में सावधान रहना चाहिये कि यदि उसके पते में कोई परिवर्तन हो जाए तो उसकी सूचना पंजीकार को तुरन्त भेजी जाए और इस सम्बन्ध में पंजीकार द्वारा यदि कोई पूछताछ

की जाए तो उसका उत्तर तुरन्त भेजा जाए ताकि उसका पता, रजिस्टर में ठीक सम्यक रूप से दर्ज हो सके अन्यथा हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 की धारा 15(5) के अधीन व्यवसायी का नाम रजिस्टर में से हटाया जा सकता है ।

(नियम 6(1) देखिये)

अतिरिक्त अर्हताओं के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र ।

सेवा में,

पंजीकार,
होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद
हिमाचल प्रदेश, शिमला ।

महोदय,

मैं ..... अतिरिक्त अर्हताओं के पंजीकरण कराने के लिए आवेदन पत्र भेज रहा हूं जो मैंने ..... में ..... प्राप्त की अर्हताओं का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र मूल रूप में उसकी प्रति सहित एतद्द्वारा संलग्न किया जाता है । जिसे कार्रवाई के उपरान्त तुरन्त लौटा दिया जाए । मैं हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक अधिनियम, 1979 के अधीन पहले से ही पंजीकृत हूं ।

मेरा पंजीकरण का विवरण निम्न प्रकार से है:—

नाम .....

पिता का नाम .....

पता .....

पंजीकरण संख्या .....

10 रुपये को विहित शुल्क द्वारा ..... डाकघर

रसीद संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा भेज दिया गया है ।

शासकीय रसीद संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा अदा की है ।

दिनांक .....

भवदीय,

अनुलग्नकों की संख्या .....

पंजीकृत व्यवसायी के हस्ताक्षर ।

नोट:—यदि आपेक्षित न हो तो उसे काट दिया जाए ।

प्रपत्र "घ"

[नियम 6(2) देखिये]

अतिरिक्त अर्हताओं का पंजीकरण

नीचे दिए गए डिप्लोमें/प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी के रजिस्टर में श्री/श्रीमती .... के नाम के सामने दर्ज कर लिए गए हैं।

पंजीकरण संख्या .....

.....

.....

सामान्य मोहर

पंजीकार ।

दिनांक ..... 198 .

प्रपत्र "ङ"

[नियम 10 (2) देदिखे]

रजिस्टर में नाम के द्वारा इन्दराज के लिए आवेदन पत्र की पुष्टि में प्रमाण पत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि आवेदन उपर्युक्त विनिर्दिष्ट ..... वही है जिसका नाम हिमाचल प्रदेश के होम्योपैथिक व्यवसायी के रजिस्टर में होम्योपैथिक अधिनियम, 1979 के अधीन औपचारिक रूप से दर्ज है :—

नाम .....

(प्रमाणित करने वाले व्यक्ति का नाम)

पता .....

अर्हतायें .....

प्रमाणित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ।

दिनांक ..... 198 .

पंजीकरण संख्या .....

परिशिष्ट 'क'

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी नियम, 1983 का नियम 21 देखिए :—

बही संख्या .....

क्रमांक .....

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् का कार्यालय शिमला।

दिनांक .....

श्री/श्रीमती .....

..... के कारण ..... रुपये की रकम (..... रुपये) प्राप्त की।

पंजीकार।

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी नियम, 1983 का नियम 21 देखिये—

बही संख्या .....

क्रमांक .....

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् का कार्यालय शिमला।

दिनांक .....

श्री/श्रीमती ..... से .....

..... के कारण .....

रुपये की रकम (..... रुपये) प्राप्त की

पंजीकार।

परिशिष्ट "ख"

(नियम 25 देखिये)

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद्

(सामान्य रोकड़ बही)

आय

मास तिथि	वर्गीकृत सार की पन्ना संख्या	विभागीय मुख्यालय और विस्तृत शीर्षक और लेखा का उप-शीर्षक	प्राप्ति का विवरण और जिन व्यक्तियों से प्राप्त हुआ का नाम	बैंक रसीद की सं0 और तिथि	राशि
1	2	3	4	5	6

दैनिक जोड़	बैंक में जमा संख्या बैंक रसीद की तिथि	राशि	मास	तिथि	वर्गीकृत सार की पन्ना संख्या
7	8	9	10	11	12

विभागीय मुख्य लघु और लेखा के विस्तृत उपशीर्षक	प्रभार का विवरण और प्रापक का नाम	वाऊचर की संख्या	चैक की संख्या और तिथि	राशि	दैनिक जोड़
13	14	15	16	17	18

परिशिष्ट "ग"

(नियम 37 देखिये)

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि नियम:

नीचे लिखे नियमों में:—

(1) "परिषद्" से हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी अधिनियम, 1979 के अधीन स्थापित होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् अभिप्रेत है,

(2) "जमाकर्ता" से अभिप्रेत है कोई कर्मचारी जिसकी ओर से इन नियमों के अधीन जमा किया जाता है ;

(3) "परिवार" से अभिप्रेत है पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो और माता-पिता, बच्चे, और सौतेले बच्चे, जो पूर्णतया कर्मचारी पर निर्भर हो ;

(4) "ब्याज" से अभिप्रेत है वह ब्याज जो सरकारी बचत बैंक से जमा रकम पर ऐसी संस्था के लिये प्रवृत्त नियमों के अधीन दिया जाता है ;

(5) "वेतन" से व्यक्तिगत मतों के रूप में सभी नियत मासिक भत्ते सम्मिलित हैं, परन्तु इसमें विशेष व्यय की पूर्ति हेतु स्वीकृत किये गए यात्रा भत्ते, वाहन भत्ते, मकान किरायों, भत्ते सम्मिलित नहीं हैं। चाहे वे दैनिक मासिक वार्षिक आधार पर अदा किए गए हों ; और

(6) "कर्मचारी" में हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद् के कार्यालय में मूल पद धारण करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सम्मिलित है।

स्पष्टिकरण :—

(1) मूल पद पर परिवीक्षा पर होने वाला कोई कर्मचारी इन नियमों के प्रयोजन हेतु तब तक कर्मचारी नहीं माना जायेगा जब तक वह स्थायी न हो जाये ।

(2) परिषद् के कार्यालय में किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी को या उस कर्मचारी का जिसे किसी पद पर पदोन्नत किया गया हो उसे जब तक परिषद् के अध्यक्ष ने विशेष तौर पर छूट न दी हो उसे अपने वेतन में से आठ पैसे प्रति रुपये की दर से भविष्य निधि के लिये अंशदान देना होगा जिसका संयुक्त लेखा डाकघर बचत बैंक में परिषद् के अध्यक्ष के सरकारी नाम से खोला जायेगा । परिषद् द्वारा कटौती प्रत्येक वेतन बिल में से की जायेगी और तुरन्त निधि में जमा कर दी जायेगी । इस कटौती की गणना करते समय रुपये का भिन्न छोड़ दिया जायेगा ।

(3) परिषद् भी प्रत्येक जमा कर्ता के लेखे में पिछले नियम के अधीन उसके वेतन में से काटी गई राशि के बराबर अंशदान देगी । यह अंशदान वेतन में से की गई कटौती सहित प्रत्येक कर्मचारी की निधि में हर मास जमा करा दिया जायेगा ।

(4) परिषद् के कार्यालय में एक भविष्य निधि खाता (इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 1) में रखा जायेगा । नियम 2 के अधीन प्रत्येक जमा कर्ता के वेतन में से काटी गई मासिक रकम और नियम 3 में निर्दिष्ट मासिक अंशदान भविष्य निधि खाता में तुरन्त दर्ज कर दी जायेगी और इस प्रकार दर्ज की गई रकम नियम 2 में निर्दिष्ट संयुक्त लेखे में जमाकर्ता के खाते में डाकघर बचत बैंक को दे दी जायेगी डाकघर बचत बैंक में अदायगी यथा सम्भव प्रत्येक मास की प्रथम व चतुर्थ तारीख को दी जाये ताकि उस पर ब्याज लग सके ।

(5) जब कोई कर्मचारी बिना वेतन के अवकाश पर हो तो इस अवधि के दौरान भविष्य निधि की न तो कटौती की जायेगी और न ही उस पर अंशदान दिया जायेगा ।

(6) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर और डाकघर द्वारा बचत बैंक संयुक्त लेखा पास बुक में ब्याज जोड़े जाने के यथाशीघ्र पश्चात् प्रत्येक जमाकर्ता के लेखे की एक प्रति इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में उसे दे दी जायेगी ।

(7) परिषद् द्वारा अंशदान के रूप में दी गई रकम के किसी भी भाग का कोई कर्मचारी तब तक पात्र नहीं होगा जब तक अध्यक्ष ने उसे नौकरी छोड़ने की अनुमति न दे दी हो ।

(8) परिषद् का कोई भी कर्मचारी जो परिषद् के अध्यक्ष की राय में बेईमानी या अन्य घोर दुराचार के कारण दोषी हो वह परिषद् के अनुमोदन के बिना किसी भी संचित ब्याज या लाभ पर परिषद् द्वारा उसे दी गई किसी रकम के किसी भाग को लेने का पात्र नहीं होगा । परिषद् को, कर्मचारी की बेईमानी या असावधानी के कारण जितनी रकम का घाटा या क्षति हुई हो, उसे प्रथम दोष के रूप में उतनी रकम कर्मचारी के लेखे में उस समय जमा रकम म से वसूल करने का हक होगा ।

(9) (क) यदि किसी कर्मचारी को पदच्युत कर दिया जाए तो परिषद् कर्मचारी के हिसाब में दी गई सारी रकम या इसके भाग को तथा उस पर लगने वाले ब्याज जो रोक लेगा और कर्मचारी को उसी अंशदान और उस पर लगने वाले ब्याज के बिना केवल बकाया की ही अदायगी करेगा ।

(ख) इन नियमों के नियम 8 में उपबन्धित किये गये, के सिवाय निर्दिष्ट बकाया पदच्युत होने पर या दोष सिद्धि पर जब्त नहीं होगा ।

(10) यदि किसी कर्मचारी के त्यागपत्र, स्थानांतरण अथवा मृत्यु के समय उसके नाम परिषद् का कोई बकाया हो तो परिषद् उस के नाम जमा रकम में से उतनी रकम काट सकता है और बकाया रकम यदि कोई बचती हो तो उसे दे दी जायेगी ।

(11) नियम 7, 8, 9 और 10 के अधीन कर्मचारी का कोई रोका गया अंशदान और उस पर लगने वाला ब्याज परिषद् का हो जायेगा और उसके बचत बैंक संयुक्त लेखों में से निकाल कर परिषद् के खाते में जमा कर दिया जायेगा ।

(12) सेवा निवृती से पहले या सेवा निवृती के बाद परन्तु धनराशि अदा करने से पहले जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके लेखों की जमा नियम 7, 8, 9 और 10 के अधीन उन व्यक्तियों में बांट दी जायेगी जो कर्मचारी द्वारा भरे गये घोषणा-पत्र में दर्ज किये गये हों (इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र "III)" यह घोषणा उसे उसी समय कर देनी चाहिये जब कर्मचारी की निधि लेखों में पहली किस्त जमा की जाये। जमाकर्ता परिषद् के पंजीकार को लिखित आवेदन-पत्र देकर समय-समय पर अपने नामजद व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों में परिवर्तन कर सकता है ।

(13) परिषद् को नौकरी छोड़ने पर जमाकर्ता का लेखा बन्द कर दिया जायेगा और यदि उसके लेखे की रकम छः महीनों के अन्दर नहीं निकलवाई जाती तो यह निष्क्रय लेखा समझ कर बट्टे खाते में डाल दी जायेगी और फिर यह रकम परिषद् के अध्यक्ष के आदेशों से ही दी जायेगी।

(14) जब कोई लेखा निष्क्रय हो जाये तो यह भविष्य निधि खाता में बन्द कर दिया जायेगा और फिर रकम बचत बैंक संयुक्त लेखा में निकलवाई जायेगी और रोकड़ बही में फुटकर प्राप्ति के रूप में जमा की जायेगी। यदि बाद में रकम का दावा किया जाए तो, रोकड़ बही और भविष्य निधि खाता की प्रविष्टियां ढूंढी जायेगी और परिषद् के अध्यक्ष के आदेश प्राप्त किये जायेगे । फिर अदायगी करने और अदायगी के तथ्य तथा आदेशों का हवाला प्रत्येक लेखा पुस्तक की प्रविष्टि के आगे दे दिया जायेगा ताकि दोबारा अदायगी को बचाया जाए।

(15) एक संयुक्त डाकघर बचत बैंक लेखा परिषद् के अध्यक्ष के पदीय नाम से खोला जायेगा । बचत बैंक पास बुक सुरक्षित अभिरक्षा हेतु कार्यालय तिजोरी में रखी जायेगी । संयुक्त लेखे से यदि रकम निकलवानी हो तो परिषद् के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित मांग पत्र पर ही निकलवाई जायेगी।

(16) उपर्युक्त नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब जमाकर्ता की आर्थिक परिस्थियां ऐसी हों कि उसे धन की आवश्यकता हो तो उसे निम्नलिखित में से किसी प्रयोजन के लिए परिषद् के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बचत बैंक लेखे में से तीन मास के वेतन के अनाधिक या जमाकर्ता के लेखे की आधी रकम के बराबर जो भी कम हो, अस्थाई अग्रिम धनराशि अनुमत की जा सकती है:—

(1) जमाकर्ता या उसके परिवार के किसी व्यक्ति की बिमारी का खर्च पूरा करने हेतु।

(2) किसी विवाह या अन्तेष्टि सम्बन्धी खर्चे की पूर्ति के लिए जो जमाकर्ता के धर्म के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य हो और जिसके सम्बन्ध में खर्च करना आवश्यक होता हो । जब जमाकर्ता ने अग्रिम रकम ले रखी हो तो दूसरी बार अग्रिम रकम तब तक नहीं दी जायेगी जब तक पहले ली गई सारी रकम अदा न कर दी जाये।

टिप्पणी:—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए वेतन से अभिप्रेत है मूल वेतन और इसमें किसी प्रकार के भत्ते सम्मिलित नहीं हैं ।

(17) अग्रिम राशि 24 से अधिक किस्तों में वसूल नहीं की जायेगी । अंशदाता अपने विकल्प से 24 से कम किस्तों में अदायगी कर सकता है या दो या इससे अधिक किस्तें एक साथ अदा कर सकता है । वसूलियां मासिक रूप से अग्रिम रकम स्वीकृत होने के बाद पहले महीने के पूरे वेतन म से काटनी शुरू हो जायेगी परन्तु जब जमाकर्ता बिना वेतन के छुट्टी पर हो तब वसूली नहीं की जायेगी।

किस्त, वेतन में से अनिवार्य कटौती के रूप में वसूल कर ली जायेगी और यह उस अंशदान के अतिरिक्त होगी जो प्रति मास प्रायः काटा जाता है । वसूली की प्रत्येक किस्त वसूल होने पर संयुक्त बचत बैंक लेखे में तुरन्त जमा कर दी जायेगी ।

(18) यदि अंशदाता को अग्रिम राशि मंजूर कर दी गई हो और उसने निकलवानी हो और यह रकम बाद में अदायगी की प्राप्ति से पूर्व अस्वीकार कर दी गई हो तो निकलवायी गई सारी बकाया रकम अंशदाता द्वारा तुरन्त निधि में वापिस कर दी जायेगी और इसे न देने की स्थिति में परिषद् के अध्यक्ष के आदेशों से अंशदाता के वेतन में से एकमुश्त या मासिक किस्तों में जो 12 से ज्यादा नहीं होगी जैसे परिषद् का अध्यक्ष आदेश दे, वसूली की जाये ।

(19) इन नियमों में किसी बात को अन्तर्विष्ट होते हुए यदि परिषद् का अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि नियम 16 के अधीन निधि में से अग्रिम के रूप में निकाली गई राशि जिस प्रयोजन के लिये स्वीकृत की गई थी उसमें भिन्न प्रयोजन हेतु प्रयोग में लायी गई है तो यह राशि जमाकर्ता द्वारा निधि में तुरन्त वापिस कर दी जायेगी और न देने की स्थिति में परिषद् के अध्यक्ष के आदेशों से जमाकर्ता के वेतन में से एक मुश्त कटौती द्वारा वसूल कर ली जावेगी ।

(20) भविष्य निधि का लाभ लेने वाले प्रत्येक कर्मचारियों को एक लिखित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि उसने नियमों को पढ़ लिया है और वह इन का पालन करेगा ।

प्रपत्र-I

जमाकर्ता					भविष्य निधि खाता (परिशिष्ट "ग" का नियम 14 देखिये)				बचत बैंक में जमा की अग्रिम राशि		
बचत बैंक द्वारा दिया गया ब्याज बचत बैंक में बकाया											
क्रम संख्या	नाम	पद संख्या	अर्थ शेष	तिथि	अंशदाता द्वारा	हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक परिषद् द्वारा	आज तक कुल	तिथि	रकम	आज तक कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			रु0पै0		रु0पै0	रु0पै0	रु0पै0		रु0पै0	रु0पै0

तिथि	रकम	आज तक कुल	कुल जमा जिस में बचत बैंक का ब्याज भी शामिल है (स्तम्भ 11 और 14)	तिथि	रकम	तिथि	रकम	मास के अन्त में प्रत्येक अंशदाता का बकाया जमा	अभियुक्तियां
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	रु0पै0	रु0पै0	रु0पै0		रु0पै0		रु0पै0	रु0पै0	रु0पै0

प्रपत्र-II

[नियम 6 परिशिष्ट (ग) देखिये]

(होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति परिषद)

लेखे का वर्ष .....

जमाकर्ता का नाम	अर्थ शेष	वर्ष के दौरान जमा			वर्ष के दौरान वसूलियां	वर्ष के दौरान लगने वाला ब्याज	वर्ष के दौरान प्रत्याहार	शेष
		जमाकर्ता का भाग	परिषद् का भाग	जोड़				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

इसमें नीचे दिये गये विवरण के अनुसार पिछले वर्षों में वसूली की गई परन्तु इस वर्ष के लेखे में डाली गई .....रकम शामिल है ।

पंजीकार के हस्ताक्षर
दिनांक .....

पिछली अवधियों की जमा रकमों पर भी ब्याज शामिल है ।
गुम हुये आक्कलन/विक्कलन के लिये कृपया अगले पृष्ठ देखिये।

नोट 1.—यदि अंशदाता पहले की गई नामजदगी में कोई परिवर्तन करना चाहे तो निधि के नियमों के अनुसार नई नामजदगी तुरन्त की जाये ।

2.—यदि अंशदाता का कोई परिवार न होने के कारण उसने अपने परिवार के व्यक्ति/व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम नामजद किया हो तो और बाद में उसका परिवार हो गया हो तो वह अपने परिवार के व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम नामजदगी के कागज भर देने चाहिये ।

3.—अंशदाता से प्रार्थना की जाती है कि वह अपने कथन की सत्यता के बारे में तसल्ली कर लें और यदि कोई गल्ती रह गई हो तो उनकी प्रेषित की तिथि के .....मास के अन्दर रजिस्ट्रार के ध्यान में ला दें।

गुम आक्कलन/विक्कलन

गुम हुए आक्कलनों/विक्कलनों का विवरण नीचे दिया जाता है यदि अंशदाताओं/अंशदाता निकलवायी गई रकमें/ निकलवायी गई रकमों की वापसी कर दी गई हो तो जमाकर्ता कृपया उन वाउचरों का हवाला दे जिनमें कटौतियां की गई थीं । रकमें निकलवाई गई थीं और उसमें प्रत्येक वाउचर की संख्या, भुगतान की तिथि, खजाने का नाम,

लेखा शीर्ष और वाउचर की शुद्ध रकम का भी उल्लेख होना चाहिये । (अराजपत्रित कर्मचारियों की स्थिति में यह ब्यौरा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा दिया जाए) ।

अंशदान		निकलवाई गई रकमों/राशियों की वापसियां		अग्रिम राशि/निकलवाई गई राशियां	
वर्ष	वेतन का मास	राशि	वर्ष	वेतन का मास	वर्ष	मासिक वेतनमान

प्रपत्र-III

(परिशिष्ट "ग" का नियम 12 देखिये)

नामजदगी फार्म

(क) जब जमाकर्ता का परिवार हो और उसके किसी व्यक्ति को नामजद करना चाहता हो :

मैं शपथ द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी (सामान्य) नियम 1983 के परिशिष्ट "ग" में दी गई भविष्य निधि नियम के नियम 3 में परिभाषित मेरे परिवार का सदस्य है को निधि की मेरी रकम देय होने से पहले या देय होने पर, अदायगी से पहले मेरी मृत्यु होने की स्थिति में प्राप्त करने के लिए नामजद करता हूं ।

नामजद व्यक्ति का नाम व पता	जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	आयु	केस बतायें जिनके होने पर यह नामजदगी अमान्य हो जायेगी	उस/उन व्यक्ति/व्यक्तियों यदि कोई हो के नाम, पते और सम्बन्ध जिस/जिन्हें जमाकर्ता के पहले उनकी मत्यु हो जाने की स्थिति में नामजदगी का अधिकार मिल जायेगा
1	2	3	4	5

दिनांक 19

जमाकर्ता के हस्ताक्षर ।

हस्ताक्षर के दो साक्षी

1. नाम .....
   पता .....

2. नाम .....
   पता .....

जब जमाकर्ता का परिवार हो और एक से अधिक व्यक्तियों का नामजद करना चाहता हो ।

मैं निम्नलिखित व्यक्तियों जो हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी नियम, 1983 के परिशिष्ट "ग" में दी गई भविष्य निधि के नियम 3 में दी गई परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार के सदस्य हैं को निधि की मेरी रकम देय होने से पहले या देय होने पर अदायगी से पहले मेरी मृत्यु होने की स्थिति में प्राप्त करने के लिए नामजद करता हूं और निर्दिष्ट करता हूं कि मेरी यह उक्त रकम कथित व्यक्तियों में उनके नाम के आगे दिखाए गये ढंग से बांटी जाये ।

नामजद व्यक्ति का नाम व पता	जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक व्यक्ति को संचित राशि में से दी जाने वाली राशि	वे समावतायें जिनके होने पर नामजदगी अमान्य हो जायेगी	उस/उन व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, पते और सम्बन्ध जिन/जिन्हें जमाकर्ता के पहले उसकी मृत्यु होने की स्थिति में नाम जदगी का अधिकार मिल जायेगा
1	2	3	4	5	6

दिनांक .....

स्थान .....

.....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर ।

हस्ताक्षर के दो साक्षी:

1. ..... 2. .....

नाम ..... नाम .....

पता ..... पता .....

टिप्पणी.—यह स्तम्भ भरा जाना चाहिये ताकि उसके अन्दर निधि में जमाकर्ता के नाम किसी समय खड़ी सारी रकम आ जाए ।

(ग) जब जमाकर्ता का कोई परिवार न हो और किसी एक व्यक्ति को नामजद करना चहाता हो ।

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी नियम, 1983 के परिशिष्ट "ग" में दिये गये भविष्य निधि के नियम 1(3) में की गई परिभाषा के अनुसार चूंकी मेरा कोई परिवार नहीं है इस लिए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों

को निधि की अपनी रकम देय होने से पहले या देय होने पर अदायगी से पहले मेरी मृत्यु होने की स्थिति में प्राप्त करने के लिए नामजद करता हूं:—

नामजद व्यक्ति का नाम व पता	जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	आयु	वे समावयतायें जिनके होने पर यह नामजदगी प्रमान्य हो जायेगी	उस/उन व्यक्ति/व्यक्तियों के पते नाम, पत्ते व सम्बन्ध जिसकी अंशदाता से पहले उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामजदगी का अधिकार मिल जायेगा
1	2	3	4	5

दिनांक .....

स्थान ....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर ।

हस्ताक्षर के दो साक्षी:

1. नाम .....
पता .....

2. नाम .....
पता .....

नोट.—जब जमाकर्ता का परिवार न हो और वह नामजदगीकर्ता है वह इस स्तम्भ में निर्दिष्ट करेगा की यह नामजदगी, बाद में उसके परिवार हो जाने की स्थिति में अमान्य हो जायेगी।

(घ) जब जमाकर्ता का परिवार न हो और वह एक से ज्यादा व्यक्तियों को नामजद करना चाहता हो।

हिमाचल प्रदेश होम्योपैथिक व्यवसायी नियम, 1983 के परिशिष्ट "ग" म दिये गये भविष्य निधि नियमों के नियम 1(3) में प्रमाणित के अनुसार चूंकि मेरा कोई परिवार नहीं है इस लिए मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को निधि की अपनी रकम देय होने से पहले या देय होने पर अदायगी से पहले मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति

में प्राप्त करने के लिए नामजद करता हूं और निर्दिष्ट करता हूं कि मेरी उक्त राशि कथित व्यक्तियों में उनके नाम के आगे दिखाये गये ढंग से बांटी जाए :--

नामजद व्यक्ति का नाम व पता	जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	आयु	प्रत्येक व्यक्ति को संचित रकम में से दी जाने वाली रकम	वे सम्भावनायें जिनके होने पर नामजदगी अमान्य हो जायेगी	उस/उन व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम, पता व सम्बन्ध जिसे/जिन्ह जमाकर्ता से पहले उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामजदगी का अधिकार मिल जायेगा
1	2	3	4	5	6

दिनांक....................

स्थान....................

जमाकर्ता के हस्ताक्षर ।

हस्ताक्षर के दो साक्षी:

1. नाम.................... पता....................

2. नाम.................... पता....................

नोट.--यह स्तम्भ भरा जाना चाहिये ताकि निधि में जमाकर्ता (अंशदाता) के नाम किसी समय खड़ी सारी रकम इसके अन्दर आ जाए।

नोट.--जहां जमाकर्ता का कोई परिवार न हो और वह नामजदगी करता है तो वह इस स्तम्भ में निर्दिष्ट करेगा कि यह नामजदगी उसके परिवार होने पर अमान्य हो जायेगी ।

In pursuance of the provisions of clause (3) *of Article* 348 *of the Constitution, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. HFW-B* (*A*) 3-3/81, *dated* 3-9-1984.

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 3*rd September*, 1984

No. HFW-B (A) 3-3/81.—Whereas the draft Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners (General) Rules, 1982 were published in Himachal Pradesh (Extraordinary) Rajpatra dated the 10th August, 1982 as required under section 53 of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979 (Act No. 3 of 1980) *vide* this Department notification No. 11-2/73-H&FW-II, dated the 2nd February, 1982 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date of publication.

Whereas, the Government has considered the objections and suggestions received from the public on the said draft rules within the prescribed period.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 53 of the said Act, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners (General) Rules, 1983.

(2) These shall come into force at once.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless there is anything repugnant in the context:—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979 (Act No. 3 of 1980);
(*b*) "appendix" means an Appendix to these rules;
(*c*) "chairman" means the Chairman of the Council;
(*d*) "committee" means a Committee appointed by the Council;
(*e*) "form" means a form appended to these rules;
(*f*) "section" means a section of the Act;
(*g*) "University" means any university incorporated by an Act of Parliament or State Legislature.

(2) The terms and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. *Registration of practitioners.*—(1) Every person entitled to have his name entered in the Register under section 16 shall, if he is so desirous of having his name entered, make an application to the Registrar in Form "A". Every such application shall be accompanied by the fee prescribed in rule 32. He shall also furnish along with application such documents as may be necessary to establish his claim for having his name entered in Part A or B of the Register, as the case may be.

(2) The Registrar may, after examining the application, require the applicant to furnish such other information or documents within such time as he may specify.

(3) If the Registrar, on receipt of the application under sub-rule (1) or on receipt of further information or documents required from the applicant under sub-rule (2) and after making such further enquiry, as he may deem proper, is satisfied that the applicant is entitled to get his name entered in Part A or B of the Register, as the case may be, he shall do so. If he is not so satisfied, he shall reject the application:

Provided that no order of relection of any application shall be passed without giving the applicant an opportunity of being heard.

(4) Practitioner whose name is entered in the register under sub-section (1) or sub-section (2) of section 16 shall be issued a certificate in Form 'B' on payment of fee of five rupees and the applicant whose application is rejected shall be sent an intimation of rejection by registered post.

(5) Every registered practitioner registered under section 16 shall renew his registration after every year.

4. *Validity of Registration.*—The name of every person registered under the Act shall, subject to the provisions contained in the Act as to the removal of names from the register, remain entered therein.

5. *Change of address to be intimated to the Registrar.*—(1) Every registered practitioner shall send to the Registrar a notice of any change in his address within one month of such change and

shall also promptly answer all such enquiries as may be made from him by the Registrar in regard thereto, in order that his correct address may be entered in the register.

(2) A registered practitioner who changes his name shall immediately imform the Registrar about his changed name and shall satisfy the Registrar that he has already notified the fact of the change of his name in a newspaper having a wide circulation in the area in which he carries on his business and is published in the regional language of that area. The Registrar, shall, on being so satisfied and on receipt of a fee prescribed in rule 32 correct the registar accordingly.

He shall also on being required to do so by the registered practitioner, make necessary correction in the Registration Certificate.

6. *Entries in the register regarding further qualifications.*—(1) A registered practitioner who obtains any further degrees, diplomas, certificates or other qualificatons, Homoeopathic or other recognised medical degrees, diplomas or certificates and is desirous of getting the same entered in the register, shall make an application in Form 'C' accompanied by the fee prescribed in rule 32. He shall also furnish along with his application the original degrees, diplomas or certificates as the case may be, on the basis of which the entry in the register is sought.

(2) If the Registrar on receipt of the application under sub-rule (1) and after making such further enquiry as he may deem fit, is satisfied that the applicant is entitled to have entered in the register the degrees, diplomas, or certificates, as the case may be, obtained by him, he shall do so and grant such practitioner a certificate in Form 'D'. If he is not satisfied he will reject the applications; Provided that no order rejecting any application shall be passed without giving the applicant an opportunity of being heard.

7. *Issue of a duplicate Registration Certificate.*—If a registration certificate is lost, destroyed, mutilated, the holder may at any time during which certificate is in force, apply to the Registrar for a copy of the certificate and the Registrar may, on being satisfied issue on receipt of the fee prescribed in rule 32, a duplicate certificate.

8. *Removal from register under section* 16 (5).—Whenever information reaches the office of the Registrar that a practitioner has been convicted of a cognisable offence as defined in the Code of Criminal Procedure, 1973, which discloses such defect of a moral character as is, in the opinion of the Council sufficient to make him unfit to practice in his profession or has been found, after the due enquiry, guilty of conduct which is, in opinion of the Council, infamous in any professional respect, the Registrar shall make an extract of such information and place the same before the Council for such action as the Council may like to take under the provisions of sub-section (5) of section 16:

Provided that the Council shall, before passing any order under sub-section (5) of section 16, give the practitioner concerned an opportunity of being heard, if so desired by him.

9. *Surrender of registration certificate.*—A registered practitioner whose name is removed from the register by the Registrar under sub-section (5) of section 15 or by the Council under sub-section (5) of section 16 shall on receipt of an intimation of such removal forthwith surrender his registeration certificate to the Registrar.

10. *Re-entry of name of Practitioner removed under section* 15 (5) *and* 16 (5).—(1) Any practitioner whose name is removed from the register by the Registrar under sub-section 5 of section 15 or whose name has been removed from the register by the Council under sub-section (5) of section 16 and who is desirous of getting his name entered or re-entered as the case may be, under the proviso to sub-section (5) of section 15 or under sub-section (6) of section 16 make an application to the Chairman.

(2) Each such application shall be in writing stating the grounds on which the application is made and shall be accompanied by a certificate as given in Form 'F' of two registered practitioners regarding the identity of the applicant.

11. *Publication of list of practitioners.*—The list of practitioners referred to in sub-section (1) of section 26 shall be posted at a conspicuous place out side the office of the Council and the fact of its having been printed and so pasted shall be given adequate publicity through such newspaper or newspapers having wide circulation in Himachal Pradesh as the Council may decide.

12. *Fee for supply of certified copy.*—(1) The fee for the supply of certified copy of any order passed by the Council or the Registrar or of any entry in the register shall be charged at the rate of 75 paise per 100 words or fraction thereof subject to a minimum of one rupee:

Provided that if the applicant desires to have a copy urgently he shall have to pay double the amount of fees calculated as above subject to a minimum of two rupees.

(2) In case of urgent application the copy sought for shall be ready for delivery to the applicant by the close of office hours of the day following that on which the application is made.

13. *Appeals.*—(1) Every appeal, preferred to the Council under section 17 shall be addressed to the Chairman of the Council and shall be accompanied by the fee prescribed in rule 32.

(2) Every appeal shall be deemed to have been duly presented if the same is sent by registered post, or is delivered personally or through an agent authorised in writing by the appellant, in the office of the Board.

(3) Every appeal shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against and shall contain the following particulars:—

(*a*) the date of the order against which the appeal is preferred;

(*b*) the grounds of appeal briefly but clearly set out.

(4) Every appeal shall be signed by the applicant and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 for the verification of grounds of appeal.

14. *Procedure of hearting of appeals.*—(1) If the appeal is not preferred in the manner laid down in the preceding rule or is not accompanied by the prescribed fee it shall be summarily rejected.

(2) If the appeal is not rejected under sub-rule (1), the Council shall decide the same after giving the appellant and where the appeal is against the order of the Registrar passed in relation to any person other than the appellant, after giving such person an opportunity of being heard. Every decision of the Council shall be communicated to the Registrar who shall give effect to the same

15. *Particulars to be filled in register.*—The Registrar shall show in respect of each practitioner the following particulars in the register:—

(*a*) registration number;
(*b*) full name in case of a married women, her maiden name and full married name;
(*c*) father's name;
(*d*) date of birth;
(*e*) address;
(*f*) place and places and period or periods of training;

(*g*) nature of qualifications and dates on which these qualifications were obtained in the case of practitioners registered in Parts A and B of the registers;

(*h*) date of registration; and

(*i*) remarks.

16. *Verification of pages of register.*—Each page of the register shall be verified by the Registrar's signatures.

17. *Appointment of Committees.*—For carrying out the purposes of the Act the Council may appoint such committees consisting of such number of persons as it may deem fit. Each committee appointed by the Council, shall perform such functions as may be assigned to it by the Council:

Provided that nothing in this rule shall be deemed to empower a committee so appointed to exercise such functions as are specifically mentioned in the Act to be performed by the Council or any other authority.

18. *Travelling & other allowances admissible to Members.*—(1) For attending meetings of the Council or any committee thereof the official members shall be paid travelling allowance in accordance with the provisions of the Rules as applicable to them as in the case of Himachal Pradesh Government servants.

(2) Non-official members of the Council shall be allowed travelling allowance as admissible to the Himachal Pradesh Government servant of the II grade.

(3) All non-official members attending a meeting of the Council or committee shall be paid daily allowance for each day of meeting at the highest rate admissible to Himachal Pradesh Government servants of the II grade.

19. *Seal of the Council.*—The common seal referred to in sub-section (2) of section 3 shall be kept by the Registrar in his custody. It shall be affixed on each registration certificate which is issued under the provisions of these rules and on such other documents as the Chairman may, by order, direct.

20. *Management of property.*—The Registrar shall be responsible for the maintenance of all properties of the Council, who maintain a stock register of its movable property.

21. *Deposit of Council's money in Bank.*—The Council shall open an account in the State Bank of India and all money received by it shall be deposited in the Bank subject to the provision of rule 22.

22. *Receipt of money on behalf of the Council.*—All money payable to the Council shall be received on behalf of the Council by the Registrar or any other employee of the Council authorised by him in writing in this behalf and shall be deposited in the Bank on the day following that on which these are received. A receipt in the form as prescribed in Appendix 'A' shall be granted by the Registrar in lieu of having received the money.

23. *Operation of Council accounts.*—The account of the Council shall be operated jointly by the Registrar and the Chairman (and in the absence of the Chairman by the Registrar and the Vice-Chairman).

24. *Permanent advance.*—The Registrar shall have a permanent advance of two hundred rupees.

25. *Maintenance of account.*—All money received or sent on behalf of the Council shall without any reservation be brought to the accounts of the Council in the general cash book to be maintained in the form prescribed in the Appendix 'B' under the direct supervision of the Registrar, and in his absence under the supervision of an employee of the Council authorised by him in writing.

26. *Audit of accounts.*—The accounts of the Council shall be audited annually by the Examiner, Local Fund Accounts of the Finance Department, Himachal Pradesh.

27. *Preparation of annual statement of accounts.*—The Registrar shall in the month of July each year cause to be prepared a statement of income and expenditure of preceding financial year ending 31st March, and. draw the attention of the Council to such matters which appear to him necessary for being brought to the notice of the Council.

28. *Preparation of estimates.*—(1) The Registrar shall in the month of October each year or on such date as the Chairman may fix, cause to be prepared an estimate of income and expenditure of the Council for the year commencing on the 1st of April of the ensuing year and shall submit the same to the Council.

(2) The estimates shall make provision for the full filment of liabilities of the Council and for effectually carrying out the provisions of the Act.

(3) The Council shall consider the estimates submitted to it under Sub-rule (1) and may sanction the same without any alterations as it may deem fit.

29. *Preparation of supplementary estimates.*—The Council may, at any time, during the year for which any estimates have been sanctioned cause a supplementary estimate to be prepared and submitted to it. Every such supplementary estimates shall be considered by the Council in the same manner as it were an original annual estimates. No expenditure shall be incurred which is not duly provided in the estimates sanctioned under sub-rule (3) of rule 28 or in a supplementary estimate.

30. *Payment of Bills.*—All the salary bills of the staff and other vouchers presented as a claim for money shall be received and examined by the Accountant. On being satisfied that the claim is in order, the bill shall be passed:—

(*a*) by the Registrar, if the claim relates to a salary bill of the staff or is for an amount not exceeding one thousand rupees; and
(*b*) by the Chairman, in other cases.

31. *Refund.*—Amounts received by the Council towards fees shall not be refunded under any circumstances. The amounts thus received shall remain credited to the account of the Council:

Provided that any amount paid by a practitioner in excess of prescribed fees shall be credited to the suspense account of the Council and may be refunded if claimed within a period of three years and if no claim for refund is made within the aforesaid period the amount shall be credited to the account of the Council.

32. *Fees payable to the Council.*—The following fees are prescribed to be paid to the Council:—

(1)	for the first registration in the register under rule 3 (1) ..	Rs. 50.00
(2)	for change name in the register under sub rule 2 of rule 5 ..	Rs. 10.00
(3)	for every further qualification or status subsequently registered under sub rule (1) of rule 6. ..	Rs. 10.00
(4)	for a duplicate certificate of registration under rule 7 ..	Rs. 15.00

(5) for filing an appeal to the Council in accordance with rule 13 if the appeal is against the order of the Registrar passed against the applicant .. Rs. 10.00

(6) for filing an appeal in accordance with rule 13 if the appeal is against the orders of the Registrar passed against any person other than the appellant .. Rs. 40.00

(7) for renewal of registration under rule 3 (5) after every year .. Rs. 10.00

together with stamp duty leviable under the Indian Stamps Act, 1889 or any other law for the time being in force relating to the levy of the stamp duty.

33. *Appointment and control over the employees of the Councils.*—(1) All employees appointed by the Council under sub-section (5) of section 14 shall be paid salaries and allowance as are sanctioned by the Council with the prior approval of the Government.

(2) The Registrar shall have authority and exercise control over the employees of the Council. The duties of various categories of the staff will be such as may be assigned by the Chairman and the Registrar.

34. *Leave & travelling alowance to the Council.*—The Registrar and other employees of the Council shall be granted leave and travelling allowance in accordance with rules as are applicable to the Himachal Pradesn Government Employees.

35. *Power to grant leave to registrar.*—The Chairman shall be authorised to grant leave to the Registrar.

Pow r to grant the leab for the Employees of the Coun(—The Registrar shall be authorised to grant leave to other employees of the Council and appoint substitute in their places.

37. *Contributory provident fund.*—The employees of the Council shall not be entitled to pension but permanent employees will be allowed the benefit of Contributory Provident Fund Rules given in Appendix 'C'.

38. *Interpretation of rules.*—In case of any interpretation or clarification of these rules the decision of the State Government shall be final.

By order,
S: S. SIDHU,
Secretary (H, & F. W.)
to the Govt. of Himachal Pradesh

FORM A

[*See* rule 3 (1)]

APPLICATION FOR REGISTRATION UNDER THE HIMACHAL PRADESH HOME EOPATHIC PRACTITIONERS ACT, 1979

To

The Registrar,
Council of Homoeopathic System of Medicine,
Himachal Pradesh, Shimla.

Subject.—Application for Registration under section 16 of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979.

Sir,

I am to request you to please register my name as a Practitioner in Part A or B of the register maintained under the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979. Necessary particulars concerning my case are given here below for your information and record:—

1. Name of the applicant (in block letters).....
2. (*a*) Married name, if any (in block letters).....
   (to be filled in by married women only)
   (*b*) Maiden name (in block letters).....
3. Father's name (in block letters).....
4. Place where practising/will practise:
   (*a*) Village/Mohalla ..... (*b*) Post Office .....
   (*c*) Tehsil and District ..... (*d*) Police Station.....
5. Date of birth.....
   (attach a copy of certificate in support of date of birth)
6. System in which practising/will practise (Homoeopathic).
7. (*a*) Name and address of a recognised Faculty/Board/University in respect of Homocopathy where studied .....
   (*b*) Period of study in the institution mentioned above .....
   (*c*) Name of the examination passed.....
   (*d*) Year in which passed.....
8. If studied privately, intimate—
   (*a*) Name and address of Guru.....
   (*b*) Period of study.....
   (*c*) Period of practice (From) ..... To.....
9. If registered/enlisted with any State—
   (*a*) Registration/enlistment number.....(enclose a copy of certificate)
   (*b*) Name of the State Board.....
10. (*a*) Fifty rupees for making entry in the register, and five rupees for the issue of registration certificate have been sent *vide* Money Order receipt No.....dated.....
    of Post Office.....
    (*b*) In case the fee is paid in cash official receipt No.....

Dated.....19

Signature of applicant,

Notes:—(1) All cuttings in the application form must be signed by the applicant.
(2) The registration fee be sent by money order or may be given in cash to the Registrar, Council of Homoeopathic Systems of Medicine.
(3) The Diploma/Degree of the recognised institution may be sent along with this application.
(4) Strike out the items/words which are not applicable.

AFFIDAVIT

I,.....son of Shri.....resident of..... Village....., wanting to practisein village/Mohalla....., Tehsil..... ....., Post Office....., Police Station....., District..... solemnly declare as follows.

(*a*) that I have not been adjudicated by a competent court to be of unsound mind;

(*b*) that I have not been convicted and sentenced by a criminal Court to imprisonment for any offence involving moral turpitude;

(*c*) that I am not an undischarged insolvent;

(*d*) that my name has not been removed from the register of Practitioners maintained by the State Board/Council or Parishad for profession misconduct,

(*e*) that I have gone through the Himachal Pradesh Homoeopathic practitioners Act, 1979 and rules framed thereunder and I promise to abide by the provisions of the said Act and Rules;

I solemnly declare and affirm that the contents given in application for registration in paras (*a*) to (*e*) above are correct to the best of my knowledge and belief. I further declare on oath that nothing relevant has been concealed.

Dated.....19 . *Signature of the applicant.*

Note.—The affidavit is to be attested by a Magistrate of 1st Class or an Oath Commissioner.

ATTESTED

Signature of the Attesting Authority.....

Name in Full (Block letters).....

Designation.....

Place....., Date....., 19 .

To be filled in by the office

Registration application received on....., Diary No.....

(*a*) Fee for making entry in the Register/or issuing certificate received on .....
(*b*) Official Receipt No....., Dated.....
(*c*) Cash Book Page No..... Personal lodger No.....

Signature of the Accountant *Signature of the Cashier.*

Order of the Register.....
Registration No.....
Original certificate scrutinised and returned on.....
Registration certificate issued *vide* No....., dated.....

FORM B

[*See* rule 3(4)]

No.....

COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE HIMACHAL PRADESH SHIMLA

I certify that Shri.....son of Shri.....has been registered under the Himachal Pradesh Practitioners Act, 1979 as Homoeopethic Practitioner on.....at Shimla.

Qualifications.....
Date of birth.....
Address.....

NOTES:—(1) This certificate entitles the holder to practise within the State of Himachal Pradesh only.

(2) This certificate remains evidence of registration only untill the publication of the printed register for the year,.....

Common Seal.

Dated, Shimla, the.....19 . *Registrar.*

IMPORTANT NOTICE

Every registered practitioner should be careful to send to the Registrar immedite notice of any change in his address, and also to answer all inquiries that be sent to him by the Registrar in regard thereto, in order that his correct address may be duly inserted in the register. Otherwise under section....., of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979, the name of the Practitioner is liable to be removed from the register.

FORM C

[*See* Rule 6(1)]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF ADDITIONAL QUALIFICATIONS

To

The Registrar,
Council of Homoeopathic System of Medicine,
Himachal Pradesh, Shimla.

Sir,

I beg to apply for the registration of additional qualifications of.....which I have obtained from.....in..... The diploma or certificate of qualification, in original, with a copy thereof is enclosed herewith which may please be returned as soon as done within— am already registered under the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979.

Particulars of my registration are given below:—

Name.....
Father's name.....
Registration No.....

The prescribed fee of Rs. 10 has been remitted by moneyorder *vide* Receipt No..... dated.....of.....(Post Office *paid in cash *vide* official Receipt No..... ....., dated.....

Yours faithfully,

Signature of the Registered Practitioner.

Dated.....198

No. of enclosures.

*Strike off if not required.

FORM D

[*See* rule 6(2)]

REGISTRATION OF ADDITIONAL QUALIFICATIONS

The additional diploma/certificate appearing below have been inserted in the register of Homoeopathic Practitioners for Himachal Pradesh against the name of Shri/Shrimati.....
.....
Registration No.....

Diplomas or certificates already registered.	*Diplomas or certificates now registered.*
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Seal.

Dated.....,19 . *Registrar.*

FORM E

[*See* rule 10(2)]

CERTIFICATE IN SUPPORT OF APPLICATION FOR RE-ENTRY OF NAME IN THE REGISTER

I hereby certify that the applicant is the above specified..... whose name formerly stood in the Register of the Homoeopathic Practitioners in Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979.

Name.....
(name of person certifying)

Address.....
Qualifications.....

Dated the.....,19 . *Signature of the person certifying*
Registration No.....

APPENDIX—A

See *rule* 22 *of the Himachal Homoeopathic Practitioners Rules*, 1983

Book No.....
Serial No.....

See *rule* 22 *of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Rules*, 1983

Book No.....
Serial No.....

OFFICE OF THE COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE, HIMACHAL PRADESH SHIMLA

Dated the..... ....

Received from Shri/Smt.....

.....

the sum of Rs.....

Registrar.

OFFICE OF THE COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE, HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

Dated the.....

Received from Shri/Smt.....

.....

the sum of Rs.....

Registrar.

APPENDIX B

[*See* rule 25]

COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE, HIMACHAL PRADESH

GENERAL CASH BOOK

INCOME

Month	Date	Folio number of classified abstract	Departmental major/ minor and detailed head and sub-head of account	Particulars of receipt and names of the persons from whom received	Number of bank receipt and date
1	2	3	4	5	6

Month	Date	Amount	Daily total	Remittance to Bank No. date of Bank receipt	Amount
1	2	7	8	9	10

EXPENDITURE

Month	Date	Folio Number of Classified abstract	Departmental major/minor sub-heads and detailed sub-heads of account	Particulars of charge and name of payee
1	2	3	4	5

Month	Date	Number of vouchr	Number and date of cheque	Amount	Daily total
1	2	6	7	8	9

APPENDIX C

(*See* Rule 37)

PROVIDENT FUND RULES FOR THE EMPLOYEES OF THE COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE, HIMACHAL PRADESH

1. In the following rules:
   (1) "Council" means the Council of Homoeopathic system of Medicine, Himachal Pradesh, established under the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979.
   (2) "Depositor" means an employee on whose behalf a deposit is made under these rules.
   (3) "Family" means wife or husband as the case may be, and parents, children and step children wholly dependent upon the employee.
   (4) "Interest" means interest which is paid on deposit in a Government Savings Bank under the rules inforce for such institution.
   (5) "Salary" includes all fixed monthly allowances by way of pay of personal allowances, but does not include allowances granted to meet specific expenditure such as travelling or conveyance or house rent allowances whether paid on daily, monthly or yearly basis.
   (6) "Employee" includes every employee hold a substantive appointment in the office of the Council of Homoeopathic system of Medicine, Himachal Pradesh.

Explanation.—An employee on probation in substantive appointment shall not be considered an employee for the purpose of these rules untill he is confirmed.

2. Every employee appointed or promoted to an appointment in the office of the Council shall be required, unless specifically exempted by the Chairman of the Council to subscribe at the rate of 8 paise in the rupee on his salary to a provident Fund of which a conuoint account will be opened at the Post Office Savings Bank in the official name of the Chairman of the Council. The deduction shall be made by the Council from every salary bill presented and shall be credited at once to the Fund. In calculating this deduction fraction of a rupee of salary should be omitted.

3. The Council shall make a contribution to the deposit account of each depositor equal to the amount of the deduction made from his salary under the preceding rule. Such contribution shall be credited to the Fund month by month in favolr of such employee, together with the deduction from salary.

4. A Provident Fund Ledger (Form I appended to these rules) shall be maintained in the office of the Council. The amount deducted monthly from each depositor salary under rule 2 and the monthly contribution referred to in rule 3 shall be entered at once in the Provident Fund Ledger, and the amount so entered shall be duly paid into the Post Office Savings Bank to the credit of the depositor in the conjoint account referred to in rule 2 payment into the Post Office Savings Bank should, whenever possible, be made between 1st and 4th day of each month in order that the interest may accrue thereon.

5. No subscription or contribution shall be made to the Provident Fund during the period an employee is on leave without pay.

6. As soon as possible after the close of a financial year and after the interest has been added by the Post Office in the Saving Bank conjoint account pass book a copy of the account of each depositor shall be furnished to him in Form-II appended to these rules.

7. No employee shall be eligible to receive any part of or share in any sum contributed by the Council on his behalf unless he has been in service of the Council for at least twelve months, and has, in the event of resignation been permitted by the Chairman of the Council to resign his appointment.

8. No employee of the Council, who, in the opinion of the Chairman of the Council, be guilty of dishonesty or other gross misconduct shall, except with the approval of the Council, be eligible to receive any part of or share in any sum contributed by the Council on his behalf on any accumulated interest or profits thereof. The Council shall be entitled to recover as the first charge from the amount, for the time being at the credit of a servant a sum equal to the amolnt of any loss or damage at any time substained by the Council by reason of the employee's dishonesty or negligence.

9. (*a*) If an employee is dismissed, the Colncil, may withhold all or any part of the contribution made by it to his accolnt together with the interest accrued thereon and pay to the servant only the balance at his credit without such contribution and interest thereon.

(*b*) Except as provided in rule 8 to 10 of these rules the balance referred to is not liable to forfeiture on dismissal or on conviction of an offence.

10. If at the time of the resignation, transfer, dismissal or death of an employee there are outstandings of the Council against him, the Council may deduct the amount of such outstandings from his deposit and pay him the balance, if any.

11. Any contribution and interest thereon withheld from the employee under rule 7, 8, 9 and 10 shall belong to the Board and shall be withdrawn from the Savings Bank conjoint account and credited to the funds of the Council.

12. In the event of depositor's death, before retirement or after retirement but before the money has been handed over the amount at his credit shall, subject to rule 7, 8, 9 and 10 be distributed among such persons as may be named in the declaration of the employee (Form III appended to these rules) which should be made when the first deposit is made in the Fund account of the employee. A depositor may from time to time change his nominee or nominees by written applications to the Registrar of the Council.

13. On a depositor leaving the service of the Council his account shall be closed and unless the amount at this credit is withdrawn within six months, the account shall be written off as a dead account and the amount shall be paid only under the orders of the Chairman of the Council.

14. When an account become dead it shall be closed in the Provident Fund Ledger, the money being drawn out the Savings Bank conjoint account and credited in the Cash Book as miscellaneous, receipt. If the amolnt is subsequently claimed, the entries in the Cash Book and the Provident Fund Ledger shall be traced olt and order of the Chairman of the Council obtained. The payment is made and the fact of payment and reference to the order, shall be made against the entry of each account book to avoid double payment.

15. A conjoint Post Office Savings Bank Account will be opened in the official name (designation) of the Chairman of the Council, The Savings Bank pass book shall be kept for safe custody in the office sare. Withdrawals from the conjoint accolnt shall be made on requisition signed by the Chairman of the Council.

16. Notwithstanding anything contained in the above rules, when pecuniary circumstances of the depositor are such that concession is a matter of absolute urgent necessity, a temporary advance not exceeding three months pay or half of the balance to the credit of the depositor whichever is less may be allowed by the Chairman of the Council from the conjoint Savings Bank account for any of the following purposes:—

(*i*) to pay expenses incurred in connection with the illness of subscriber of member or his family;

(*ii*) to pay expenses incurred in connection with the marriage or funeral caremoney which by the religion of the subscriber it is incumbent upon to purform and inconnection with which it is obligatory that the expenditure should be inclrred. When a subscriber has taken advance asecond advance shall be granted to him unless the amolnt already advaneed has been fully paid up.

Note.—For the purposes of this rule paymeans the basis pay and does not include allowances of any kind.

17. Advance will be recovered in not more than 24 equal monthly instalments. A subscriber may, however, at his option make repayment in less than 24 instalments or may repay two or more instalments at the same time. Recoveries shall be made monthly commencing from the first payment of a full months salary after the advance is granted but no recovery shall be recovered when the subscriber is on leave without pay, instalment will be recovered by compulsory de ductions from salary and will be additional to the usual subscription. Each instalment of recovery shall on recovery be at once paid into the conjoint savings bank account.

18. If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayments completed, the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the depositor to the Fund, or in default, be ordered by the Chairman of the Council to be covered by deduction from the emoluments of the depositor in a lump sum or in monthly instalments not exceeding 12 as may be directed by the Chairman of the Council.

19. Notwithstanding anything contained in these rules, if the Chairman of the Council is satisfied that the money drawn as an advance from the Fund under rule 16 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, the amount in question shall forthwith be repaid by the depositor to the Fund, or in default, be ordered by the Chairman of the Council to be recovered by deduction in a lump sum from the emoluments of the depositor.

20. Every employee to the benefit of the Provident Fund shall be required to sign a written declaration that he has read these rules and agrees to abide by them.

FORM I

PROVIDENT FUND LEDGER

(*See* Rule 14 of Appendix ("C")

Depositor					Deposit in the Saving Bank			Date	Amount	Total upto date
Sr. No.	Name	Designation	Opening balance	Date	By subscriber	By H.P. Homoeopathy Council	Total upto date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rs. P.		Rs. P.		Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.

Interest paid by the Saving Bank			Total deposit including interest in Savings Bank column 11 and 14	Advance to deposit		Balance in Saving Bank		Balance credit of each subscriber at the end of month	Remarks
Date	Amount	Total upto date		Date	Amount	Date	Amount		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.		Rs. P.		Rs. P.	Rs. P.	

FORM II

(*See* Rule 6 Appendix "C")

COUNCIL OF HOMOEOPATHIC SYSTEM OF MEDICINE

Year of Account.....

Name of Depositor	Opening Balance	Deposits during the year		Total	Recoveries @ during the year	Interest accruing during the year	Withdrawl during the year	Balance
		Depositor's Share	Council's Share					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*This also includes.....recovered in earlier years as detailed below but brought on to the account in this year.

.....

.....

.....

Signature of Registrar,
Date .....

@Includes interest on credits relating to earlier periods also.

XX for missing credits/debits please see revers.

Note—1. If the depositor desires to make any alteration in the nomination already made a revised nomination may be filed forthwith in accordance with the rules of the Fund.

2. In case the depositor owing to his/her having no family than had nominated a person/persons other than a member/members of his family and subsequently acquired a family he/she should submit a nomination in favour of a member/members of his/her family.

3. The depositor is requested to satisfy himself/herself as to the corrections of the statement and to bring errors, if any, to the notice of the Registrar within.....month(s) from the date of its receipt.

असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 24 नवम्बर, 1984/3 अग्रहायण, 1906 1073

MISSING CREDITS/DEBITS

Details of Missing Credits/Debits are given below:—

In case these subscriptions/withdrawals/refunds of withdrawals were actually made the depositor may please give the particulars of the vouchers in which the deductions were made/amounts were withdrawn indicating the No. of each voucher, date of its encashment, name of the treasury, head of account and the net amount of the voucher (in case of non-Gazetted Government servant these particulars may be furnished by the head of office).

Subscriptions		Refund of the withdrawals		Advances/withdrawals	
Year	Month of amount salary	Year	Month of salary	Year	Month of salary

FORM III

(*See* rule 12 of Appendix "C")

FORM OF NOMINATION

A—When the depositor has a family and wishes to nominate one member thereof.

I hereby nominate the person mentioned below who is a member of my family as defined in rule 3 of the P.F. Rules as contained in Appendix "C" of the Himachal Pradesh Homoeopathic (General) Rules, 1982 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund in the event of my death before the amount has become payable or having become payable has not been paid:—

Name and address of nominee	Relationship with depositor	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/ persons, if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predecessing the depositor
1	2	3	4	5

Dated this.....to.....
at.....

Signature of depositor.

Two witnesses to Signature.

1. .....
Name.....
Address.....

2. .....
Name.....
Address.....

B—When the Depositor has a family and wishes to nominate more than one member thereof.

I hereby nominate the persons mentioned below who are members of my family as defined in rule 3 of the Provident Fund Rules as contained in Appendix "C" to the Himachal Pradesh Homoeopathic (General) Rules 1983 to receive the amount that may stand to credit in the Fund in the event of my death before the amount has become payable, or having become payable has not been paid, and direct the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown against their names:—

Name and address of nominee	Relationship with depositor	Age	Amount of share of accumulation to be paid to each	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons if any, to whom the right of the nominee shall pass in the events of his predeceasing the depositor
1	2	3	4	5	6

Dated this.....day, of.....
at.....

Signature of depositor.

Two witnesses to signature:

1.....
Name.....
Address.....
.....

2.....
Name.....
Address.....
.....

Note.—This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the depositor in the Fund at any time.

C—When the Depositor has no family and wishes to nominate one person thereof.

I, having no family as defined in rule (3) of the Provident Fund Rules as contained in Appendix "C" to the Himachal Pradesh. Homoeopathic (General) Rules, 1983 hereby nominate the person mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before the amount has become payable or having become payable has not been paid:—

Name and address of nominee	Relationship with depositor	Age	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid	Name, address and relationship of the person/persons, if any, to whom the right of nominee shall pass in the event of his predeceasing the subscriber.
1	2	3	4	5

Dated This....., day of.....

Signature of Depositor,

Two witnesses to signature:

1..... 2.....
Name..... Name.....
Address..... Address.....
....
....

*Note.—Where a depositor who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequent acquiring a family.

D—When the depositor has no family and wishes to nominate more than one person.

I, having no family as defined in rule 1 (3) of the Provident Fund Rules as contained in Appendix "C" of the Himachal Pradesh Homoeopathic (General) Rules, 1983 hereby nominate the persons mentioned below to receive the amount that may stand to my credit in the Fund, in the event of my death before the amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said amount shall be distributed among the said persons in the manner shown against their names:—

Name and address of nominees	Relationship with depositor	Age	Amount of share of accumulations to be paid to each*	Contingencies on the happening of which the nomination shall become invalid**	Name, address and relationship of the person/persons if any, to whom the right of the nominee shall pass in the event of his predeceasing the depositor
1	2	3	4	5	6

Dated this....., day of .....19 .

Two witnesses to signature: Signature of Depositor.

1 ..... 2.....
Name..... Name.....
Address..... Address.....
....

Note.—*This column should be filled in so as to cover the whole amount that may stand to the credit of the depositor in the Fund at any time.

Note.—*Where a depositor who has no family makes a nomination, he shall specify in this column that the nomination shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित